मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः05.05.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत युवक की हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियोग में 02 आरोपियों को करायी गई आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ 26-26 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पीयूष मोर्डिया-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व आर.पी.सिंह-पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना चुनार पर हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 01, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ 26-26 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः08.08.2022 को वादी प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्व0तिलकधारी सिंह निवासी बगही थाना चुनार जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के पुत्र विकास सिंह की लाठी-डण्डे से मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चुनार पर मु0अ0सं0-217/2022 धारा 302,323,504,34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना के दौरान नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक-निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी हवलदार सिंह यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी मन्नू यादव द्वारा प्रभावी पैरवी कर समस्त साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः05.05.2026 को मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 01, मीरजापुर-संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.प्रतीक सिंह पुत्र चन्द्रलोक सिंह, 2.हिमांशु उर्फ पांचू पुत्र शिवधन सिंह निवासीगण बेला थाना चुनार जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 302/34,323 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹26-26हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी।

उत्तर प्रदेश पुलिस
उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
मीरजापुर पुलिस
ऑपरेशन कन्विक्शन
थाना चुनार
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाये जा रहे अभियान #OperationConviction के तहत थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-217/2022 धारा 302/34,323 भादवि की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक:05.05.2026 को मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, मीरजापुर-संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.प्रतीक सिंह पुत्र चन्द्रलोक सिंह, 2.हिमांशु उर्फ पांचू पुत्र शिवधन सिंह निवासीगण बेला थाना चुनार जनपद मीरजापुर को आजीवन सश्रम कारावास व ₹26-26हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
लोक अभियोजक
एडीजीसी- सच्चिदानन्द तिवारी
विवेचक
निरीक्षक- त्रिवेणीलाल सेन
पैरोकार
मुख्य आरक्षी- मन्नू यादव
कोर्ट मोहर्रिर
मुख्य आरक्षी- हवलदार सिंह यादव
@mirzapurpolice
Mirzapur Police
mirzapur.police

****